इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

Committed to professional excellence

खंड संख्या 15 | अंक संख्या 10 | मई, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ..... 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ..... 3
विनियामक के कथन 3
आर्थिक संवेष्ठन 4
विदेशी मुद्रा 5
शब्दावली 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 6
संस्थान समाचार..... 7
नयी पहलकदमी 8
बाजार की खबरें..... 8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति को घरेलू वृद्धि में सुदृढ़ता, मुद्रास्फीतिकारक प्रत्याशाओं में कमी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई

मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अप्रैल, 2023 में आयोजित अपनी 42वीं बैठक में वैश्विक एवं घरेलू अर्थव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र तथा विकासपरक नीतियों पर व्यापक रूप से चर्चा की। समिति ने यह कहा कि धीमी वैश्विक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति में कमी लाने हेतु की गई नीतिगत कार्रवाइयां और विद्यमान यूक्रेन युद्ध जिसने (ऊर्जा सहित) कई क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, वित्तीय बाजारों में व्याप्त अनिश्चितता के लिए उत्तरदाई रहे हैं। वह इस बात से सहमत हुई कि मौद्रिक नीति में आवश्यक रूप से अवस्फीतिकारी रुख अपनाया जाना चाहिए तथा उसे मुद्रास्फीति को उसके 4% के लक्ष्य तक घटाने के संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए।

आरबीआई बुलेटिन में पर्याप्त अवस्फीति उपलब्धि की प्रशंसा की गई, किन्तु 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य की दिशा में यात्रा जारी

अप्रैल, 2023 में प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन में यह कहा गया है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मई, 2022 से की गई 250 आधार अंकों की संचई दर वृद्धि के अनुसरण में पर्याप्त अवस्फीति (disinflation) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में सुर्खियों में आई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के अप्रैल, 2022 के 7.8% से घटकर मार्च, 2023 में 5.7% रह जाने के बाद केंद्रीय बैंक ने पुनर्खरीद (repo) दर वृद्धियों को विराम दे रखा है। उक्त संख्या के और भी कम होकर जनवरी – मार्च, 2024 में 5.2% रह जाने की आशा है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दे रखा है कि खुदरा मुद्रास्फीति दोनों पक्षों में 2% के मार्जिन के साथ 4% पर स्थिर रहे।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा बहुपक्षीय विकास बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु बैंकों में रूपांतरकारी परिवर्तन का आह्वान

जी20 विशेषज्ञ समूह के साथ एक बैठक में बोलते हुये माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वृद्धिशील के बजाय रूपांतरकारी परिवर्तन के लिए आह्वान किया। उनके द्वारा सुधार लाने के लिए विखंडित दृष्टिकोण की बजाय एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत की गई है तथा विकासपरक एवं जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें पारस्परिक रूप से अनन्य के रूप में देखे बिना और अधिक वित्तीयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की हरित जमाराशियों हेतु रूपरेखा

1 जून से बैंक, लघु वित्त बैंक और जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रूपरेखा के अनुरूप तथा उनके संबन्धित बोर्डों द्वारा अनुमोदित वित्तीय ढांचे (FF) के अनुसार अपने ग्राहकों को हरित जमाराशियां (green deposits) प्रदान कर सकते हैं।

भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन से संबन्धित क़ानूनों के द्वारा अपेक्षाकृत सुनिश्चित ध्यान केन्द्रित किए जाने के परिणामस्वरूप यह रूपरेखा उपयुक्त समय पर जारी की गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके हितों को भी संरक्षित करते हुये हरित जमाराशियां प्रदान करना, ग्राहको की वहनीयता कार्यसूची को पूरा करने में सहायता करना, ग्रीनवाशिंग (greenwashing) से संबन्धित चिंताओं का निवारण करना तथा हरित गतिविधियों/कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह बढाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक की रूपरेखा ऋणदाताओं को संचयी अथवा गैर-संचई आधार पर हरित जमाराशियां जारी करने की अनुमति देती है। जमाकर्ता द्वारा इन्हें परिपक्वता पर नवीकृत अथवा आहरित किया जा सकता है।

हरित जमाराशियों को अन्य सार्वजनिक/जनता की जमाराशियों को लागू होने वाली सभी शर्तों का पालन करना होगा। हरित जमाराशियों से एकत्रित की गई राशियों का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा की कुशलता, स्वच्छ परिवहन और वैसे ही अन्य कार्यों जैसी/जैसे हरित गतिविधियों/कार्यकलापों के लिए किया जाएगा।

बैंकिंग प्रणाली के लिए प्रति-चक्रीय पूंजी का सुरक्षित भंडार सक्रिय रखने की आवश्यकता नहीं : भारतीय रिजर्व बैंक

प्रति-चक्रीय (counter-cyclical) पूंजी के सुरक्षित भंडार (buffer stock) की एक सम्पूर्ण समीक्षा और उसके अनुभवसिद्ध विश्लेषण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यह कहते हुये कि अब प्रति-चक्रीय पूंजी के सुरक्षित भंडार को सक्रिय किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैंकिंग प्रणाली को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर दी है।

प्रति-चक्रीय पूंजी का सुरक्षित भंडार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) के एक अंग के रूप में अनुरक्षित किया जाता है तथा आम तौर पर इसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में ऋण में अंतर के अनुसार सक्रिय किया जाता है। इसे सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET1) पूंजी अथवा केवल पूर्णत: हानि अवशोषक (loss absorbing) पूंजी के रूप में सक्रिय/अनुरक्षित किया जाता है। उक्त रकम बैंकों की कुल जोखिम-भारित आस्तियों (RWAs) के 0 से 2.5% तक अलग-अलग हो सकती है।

प्रति-चक्रीय पूंजी के सुरक्षित भंडार वाली प्रणाली का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण समयों पर वास्तविक/वस्तु क्षेत्र को ऋण प्रवाह बनाए रखने में अच्छे समय में पूंजी का एक सुरक्षित भंडार निर्मित करने में बैंको की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त, यह अतिशय ऋण वृद्धि वाले चरणों के दौरान बैंकिंग प्रणाली को अंधाधुंध/अभेदपूर्ण उधार देने से रोकने के अपेक्षाकृत व्यापक ध्येय को प्राप्त करने में सहायक होती है, क्योंकि इस प्रकार के उधारदाई कार्य से अंततोगत्वा प्रणाली में व्यापक जोखिम का जमावड़ा होता है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल निवेश कंपनी के रूप में पंजीकरण की आवेदन प्रक्रिया सरलीकृत

मूल निवेश कंपनी (CIC) के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया को यथा-संभव सरल और अडचन-रहित बनाने के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके लिए आवेदनों के प्रसंस्करण (processing) की प्रक्रिया की युक्तिसंगत समीक्षा करने की शुरूआत कर दी है।

उक्त समीक्षा के उपरांत, आवेदन पत्र को और अधिक संरचित कर दिया गया है तथा उसे वर्तमान मूल निवेश कंपनी के विनियमों से संरेखित कर दिया गया है। उक्त प्रक्रिया को अधिक प्रयोक्तानुकूल बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखों का सेट 52 से घटाकर 18 कर दिया गया है।

विनियामक के कथन

वित्तीय आघात-सहनीयता के लिए उपयुक्त व्यवसाय माडेलों, प्रभावी नीतियों की आवश्यकता होती है : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि शीर्ष बैंक किसी भी ऐसी सुभेद्यता (vulnerability), जो वित्तीय आघात-सहनीयता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, की पहचान करने तथा उसका विहित रूप से निवारण करने के लिए बैंकों के व्यवसाय माडेलों की गंभीरतापूर्वक निगरानी कर रहा है। यह कहते हुये कि अनुपयुक्त व्यवसाय माडेल प्राय: वित्तीय आघात-सहनीयता के मूल कारण होते हैं, उन्होंने उन अधि-आक्रामक वृद्धि रणनीतियों अथवा निम्नतम आधार पर लापरवाह अनुसरण का उदाहरण दिया, जिनके फलस्वरूप भविष्य में समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं।

श्री दास ने इसके आगे यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बोर्डों से यह अपेक्षा करता है कि वे वहनीय वृद्धि के लिए पर्याप्त (विनियामक निर्धारणों से अधिक) पूंजी और चलनिधि भंडार का सहारा उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि वास्तव में घरेलू ऋणदाता दबावपूर्ण स्थितियों में भी न्यूनतम पूंजी अनुरक्षित करने का दायित्व पूरा कर सकते हैं।

कुछेक रणनीतियों का उल्लेख करते हुये उन्होंने यह बताया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों (NPAs) का अनुपात 31 मार्च, 2021 के 7.3% से घटकर 31 मार्च, 2022 के दिन के 5.8% तथा दिसंबर 2022 के अंत तक और अधिक घटकर 4.41% रह गया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी दिसम्बर, 2022 के अंत तक 16.1% के स्तर पर रहकर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से काफी अधिक रहा। उन्होंने प्रभावी नीतियो एवं प्रथाओं की आवश्यकता पर बल देते हुये विशेषत: बैंकों और अन्य

विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा की जाने वाली व्यापक आउटसोर्सिंग की पृष्ठभूमि में साइबर जोखिमों से संबधित परिचालनात्मक आघात-सहनीयता के संबंध में भी बात की।

भारतीय वित्तीय प्रणाली वैश्विक विक्षोभ के प्रति रोधित है : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास इस बात के मताग्रही हैं कि भारत की वित्तीय प्रणाली ''वैश्विक विक्षोभ (turmoil) के प्रति पूर्णत: रोधित है'' तथा वह वास्तव में बिल्कुल आघात-सह, स्थिर एवं स्वस्थ है।

भारत की अध्यक्षता में जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुये श्री दास ने यह दावा किया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली वैयक्तिक एवं प्रणालीगत दोनों ही स्तरों पर सभी संबन्धित पहलुओं यथा - पूंजी पर्याप्तता, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिशत तथा बैंकों के चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) की दृष्टि से सुदृढ़ बनी हुई है।

उन्होंने आग्रहपूर्वक यह कहा कि शीर्ष बैंक के पर्यवेक्षी क्रियाकलाप सुभेद्यताओं की समय-पूर्व पहचान, समय-पूर्व संकेतों की पहचान करने तथा हानि के गंभीर स्वरूप लिए बिना उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने हेतु बैंकों को सजग करने के प्रति केन्द्रित हैं।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मार्च, 2023 की मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमान के अनुसार वैश्विक व्यापार के परिमाण में वृद्धि 2022 के 5.1% से घटकर 2023 में 2.4% और उसके बाद 2024 में थोड़ी बढ़कर 3.5 % रहेगी।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में 2023-24 में 6.5% की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर दर्ज होगी, जो विश्व बैंक के 6.3% तथा एशियाई विकास बैंक (ADB) के 6.4% के अनुमान के अनुरूप होगी।
- मुद्रास्फीतिकारक दबाव में कमी आ रही है। मार्च, 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति घटकर 5.7% के रूप में 15 माह के निम्न स्तर पर पहुँच गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23 की 3री तिमाही में चालू खाते का घाटा (CAD) वित्त वर्ष 22 की 2री तिमाही में 3.7% और 3री तिमाही के 2.7% की तुलना में घटकर 2.2% रह गया।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के बढ़ते अंतर्वाह के कारण 3री तिमाही के अंत तक विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में बढ़ोतरी हुई।
- परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी वाली प्रतिभूतियों में निवेश जमाराशियों के 23% तक सीमित रहा, जिससे बाजार की प्रतिकूल घटनाओं से आस्ति मूल्य में प्रभावी रोधन का संकेत प्राप्त होता है।
- भारतीय बैंकों को प्रतिफल वृद्धियों से आनुपातिक रूप से रोधित रखा गया है, क्योंकि ऋण 10 शीर्ष भारतीय बैंकों की कुल आस्तियों के 50% से अधिक रहे।
- अप्रैल-फरवरी के दौरान पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 21.7% अधिक रहा। इससे खर्च करने की गुणवत्ता बढ़ गई, जिसका पता पिछले वर्षों में पूंजीगत परिव्यय (outlay) की तुलना में राजस्व व्यय में आई कमी से चलता है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 अप्रैल, 2023 के दिन करोड रुपए	28 अप्रैल, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4818457	588780
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4251387	519485
1.2 सोना	373648	45657
1.3 विशेष आहरण अधिकार	151122	18466
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	42300	5172

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मई, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	4.80
जीबीपी	4.1784
यूरो	2.900
जापानी येन	-0.031
कनाडाई डालर	4.5000
आस्ट्रेलियाई डालर	3.60
स्विस फ्रैंक	1.411067
न्यूजीलैंड डालर	5.25
स्वीडिस क्रोन	2.895
सिगापुर डालर	3.7480
हांगकांग डालर	3.04326
म्यांमार रुपया	2.74
डैनिश क्रोन	2.5160

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

मूल निवेश कंपनी

मूल निवेश कंपनी (CIC) एक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) होती है जो शेयरों एवं प्रतिभूतियों के अभिग्रहण (acquisition) का व्यवसाय करती है तथा अपनी निवल आस्तियों का न्यूनतम 90% समूह कंपनियों के इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों, बाँड़ों, डिबेंचरों, कर्जों या ऋणों के रूप में रखती है। इसके अतिरिक्त, समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेशों में उसकी निवल आस्तियों के न्यूनतम 60% का समावेश होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्रति-चक्रीय पूंजी का सुरक्षित भंडार

प्रति-चक्रीय पूंजी का सुरक्षित भंडार (CCYB) 2010 में बासेल III मानदंडों के साथ लागू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य पूंजी के एक सुरक्षित भंडार का उपयोग प्राय: प्रणाली-व्यापक जोखिम के जमावड़े से जुड़ी ऐसी अतिशय कुल ऋण वृद्धि की अवधियों से बैंकिंग प्रणाली को संरक्षित रखने के अपेक्षाकृत व्यापक स्थूल विवेकसंगत ध्येय को प्राप्त करने हेतु किया जाना होता है। इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) के एक अंग के रूप में अनुरक्षित किया जाता है तथा इसे आम तौर पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में ऋण के बीच अंतर के अनुसार अनुरक्षित किया जाता है। इसे सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET1) पूंजी अथवा केवल पूर्णत: हानि अवशोषक (absorbing) पूंजी के रूप में अनुरक्षित किया जा सकता है। उक्त रकम बैंकों की कुल जोखिम-भारित आस्तियों (RWA) के 0 से 2.5% तक हो सकती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मई, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	8 से 9 मई, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के विधि अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	8 से 11 मई, 2023	
नेतृत्व विकास तथा शाखा प्रबन्धकों के लिए व्यावहारिक (soft) कौशल	9 से 11 मई, 2023	
आंतरिक पूंजी पर्याप्तता एवं निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) पर कार्यक्रम	11 से 12 मई, 2023	
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए कार्यक्रम	12 से 14 मई, 2023	
प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिकों के लिए कार्यक्रम	22 से 24 मई, 2023	
तुलन पत्र वाचन एवं अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	22 से 24 मई, 2023	

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स – अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक पाठ्यक्रम का सयुक्त रूप से आयोजन

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम 4-6 घंटों के शिक्षण के समावेश वाले ई-शिक्षण (E-learning) के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रमाण पत्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उन्हें अधिक समसामयिक, सकल्पनात्मक बनाने तथा महत्तर मूल्य-वर्धन सुनिश्चित करने के लिए पुनरसंरचित एवं संशोधित कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन विषयों, परीक्षा के स्वरूप, उत्तीर्णन की समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के बारे में एक विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी डाली गई है। उक्त संक्रमण को अभ्यर्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु नयी पाठ्यचर्या में पुरानी पाठ्यचर्या से कुछेक विषयों के लिए श्रेय (credits) दिये जाने की अनुमति दी गई है। संशोधित पाठ्यचर्या के अधीन परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। संस्थान द्वारा निषेधात्मक (negative) अंक दिये जाने से संबन्धित नियम को आस्थगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (2023-24) के XIIवें बैच की घोषणा

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स को बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (2023-24) के XIIवें बैच की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। उक्त कार्यक्रम के लिए पंजीकरण अप्रैल, 2023 में आरंभ हो गया है। इस बैच की शुरूआत जून, 2023 में होगी।

यह कार्यक्रम कार्यरत कार्यपालकों के लिए तैयार किया गया है तथा 10 माह की अवधि वाले इस कार्यक्रम में बैंकिंग एवं वित्त के विभिन्न क्षेत्रों का समावेश है। सप्ताहांत में आनलाइन विधि में सत्रों के साथ एक संकर कार्यक्रम तथा उसके बीच में विसर्जन कार्यक्रम आईआईएम कोलकाता कैंपस तथा आईआईबीएफ, मुंबई में एमडीपी इसकी विशेषता है। इस कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों के रूप में उद्योग एवं शैक्षणिक क्षेत्र से संबन्धित विशेषज्ञों का समावेश होगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट – http:/ www.iibf.org.in देखें।

संशोधित जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए छद्म परीक्षा सुविधा उपलब्ध

संस्थान जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के संशोधित ढांचे के अधीन सभी विषयों के लिए प्रति विषय 100 रुपए (जोड़िए कर) की नाममात्र दर पर छद्म परीक्षा (Mock Test) सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट –http:/www.iibf.org.in देख सकते हैं।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अप्रैल - जून, 2023 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: ''Competence based Human Resource Management in Banks.''

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2023 से जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें। समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

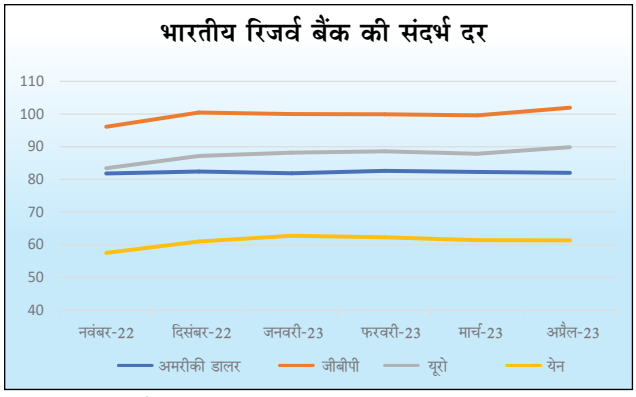

स्रोत: एफबीआईएल

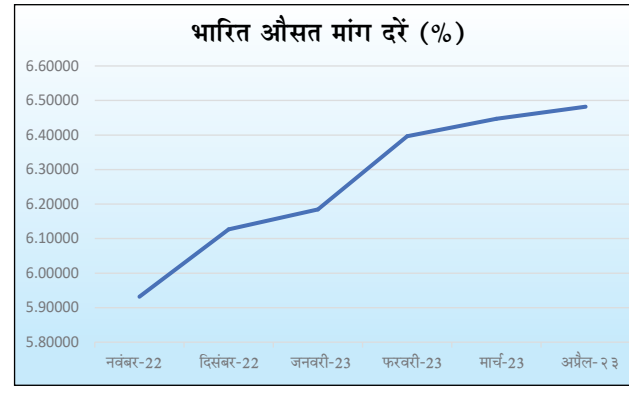

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

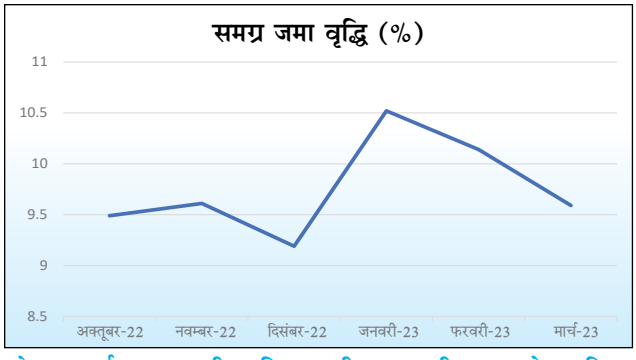

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2023

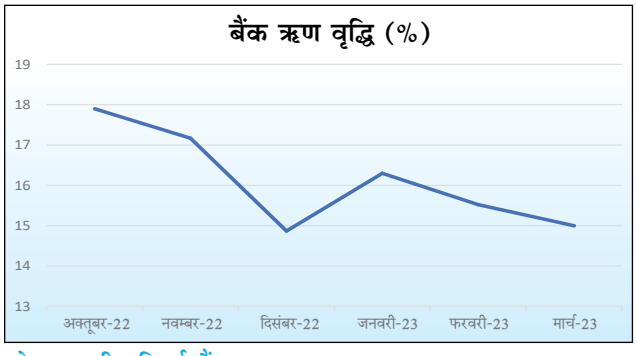

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

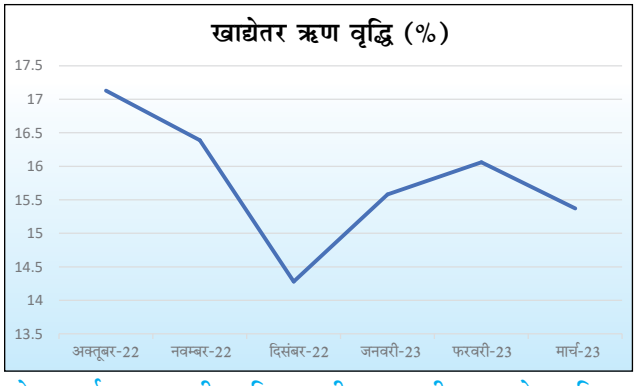

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2023

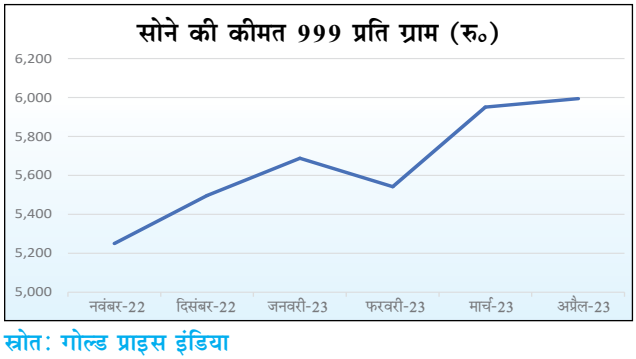

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

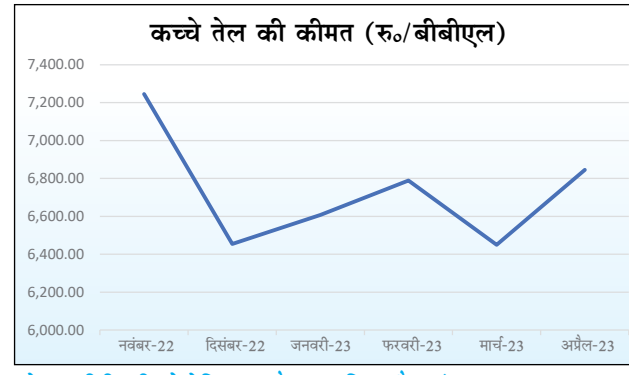

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

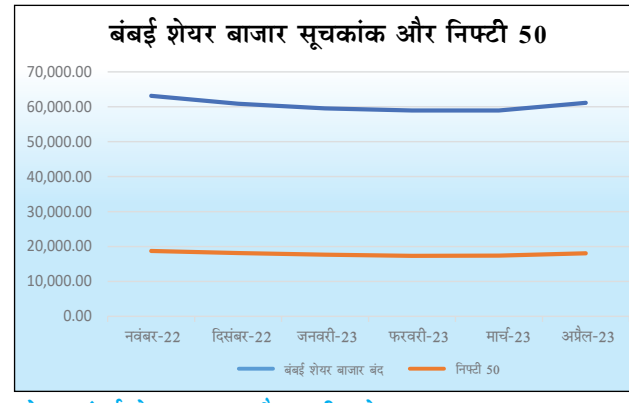

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in